न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
02/2020/प्रा.पत्र/2020	13.01.2020	27.08.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री इन्द्रकुमार विजय पुत्र श्री रामनिवास विजय निवासी 2/467 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ मैसर्स बजरंग लाल अशोक कुमार 2/467 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी टोंक जिला टोंक

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 27.08.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.08.2019 को समय 1.30 पी.एम दौराने निरीक्षण अन्नपूर्णा रोड नायको का मोहल्ला टोंक पर श्री रामरतन कुम्हार की दुकान पर वास्ते निरीक्षण पहुँचा। वहॉ पर दौराने निरीक्षण दुकान पर 500 ग्राम घी खुला रखा हुआ था,का निरीक्षण करने एंव पूछने पर श्री रामरतन कुम्हार ने उक्त घी की सप्लाई श्री इन्द्र कुमार विजय निवासी टोक द्वारा किया जाना बताया। श्री रामरतन कुम्हार के मोबाईल से श्री इन्द्रकुमार विजय से सम्पर्क कर एक टिन घी लाने हेतु ऑर्डर दिया गया। ऑर्डर देने के 30 मिनट पश्चात दोपहर 2.00 बजे श्री इन्द्रकुमार विजय अपनी स्कूटी पर एक टिन लेकर श्री रामरतन कुम्हार की दुकान पर आ गये। मौके पर श्री इन्द्रकुमार विजय घी खुला का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला,श्री इन्द्रकुमार विजय पुत्र श्री रामनिवास विजय निवासी 2/467 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ मैसर्स बजरंग लाल अशोक कुमार 2/467 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी टोंक जिला टोंक,को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका [illegible] या, पूछने पर उक्त घी(खुला) का निर्माण स्वंय के द्वारा किया जाना बताया एवं [illegible] अनुज्ञा पत्र नही होना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:48:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

1259

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि श्री रामरतन कुम्हार की दुकान पर एक टिन **घी (खुला)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, एफ.बी.ओ. श्री इन्द्रकुमार विजय को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता इन्द्र कुमार विजय एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा श्री रामरतन की दुकान पर एक टिन मे लगभग 15 किलोग्राम **घी (खुला)** रखे हुये मे से 800 ग्राम एक स्टील के जग मे वेईग मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री इन्द्र कुमार विजय को रू0 180/–अक्षरे एक सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **घी (खुला)** 800 ग्राम को पूर्णतया होमोजिनियस कर प्लास्टिक की साफ व सूखी शिशियो मे प्रत्ये कमे 200–200 ग्राम बराबर–बराबर भरकर शिशियो के ढक्कन को अच्छी तरह एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार भाग व चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2254 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2254 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. इन्द्रकुमार विजय के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2019/2376 दिनांक 01.10.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1772/एक्ट/2019/1309 दिनांक 16.08.2019 एवं निदेशक, रेफरल फूड लेब मैसूर अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 10.12.2019 अनुसा[illegible]र विजय से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **घी (खुला)** खाद्य [illegible] 2006 एवं नियम 2011 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:48:37 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

धारा 3(1) (zz) (iv) एंव 3(1) (zx) अनुसार असुरक्षित (Unsafe) व अवमानक (Sub-Standard) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **घी (खुला)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी (खुला)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक** (Sub-Standard)स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी (खुला)** का नमूना जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री इन्द्रकुमार विजय पुत्र श्री रामनिवास विजय निवासी 2/467 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ मैसर्स बजरंग लाल अशोक कुमार 2/467 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी टोंक जिला टोंक पर शास्ति 30,000 (अक्षरे तीस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 27.08.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:48:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner